

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

विज्ञापन सं०-04/2020 से 09/2020,

आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना द्वारा स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी, आयुष फिजिशियन (आयुर्वेदिक), आयुष फिजिशियन (यूनानी) एवं आयुष फिजिशियन (होमियोपैथिक) के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु प्राप्त अध्याचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में दिनांक-**29.09.2020** से दिनांक-**28.10.2020** तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिसका विज्ञापन संख्या, कोटिवार रिक्तियों की विवरणी एवं शैक्षणिक योग्यता आदि निम्नवत है :-

क्र० सं०	पदनाम	सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक एवं दिनांक	विज्ञापन संख्या	वेतन मान/ग्रेड पे०	पदों की कोटिवार विवरणी (35% महि०, 4% दिव्यांग एवं 2% स्वतंत्रता सेनानी के नाती / पोते को देय आरक्षण सहित)							
					अना०	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनु० जाति	अनु० जन जाति	अ०पि० वर्ग	पि०व०	पि०व० की महिला	कुल
(i)	आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी	1736 / 04.02.2020	04 / 2020	9300-34800 ग्रेड पे 5400/- L-9	602	150	232	09	276	184	49	1502
(ii)	आयुष फिजिशियन (आयुर्वेदिक)	1734 / 04.02.2020	05 / 2020	9300-34800 ग्रेड पे 5400/- L-9	50	12	20	02	23	15	04	126
(iii)	होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी	1737 / 04.02.2020	06 / 2020	9300-34800 ग्रेड पे 5400/- L-9	345	89	150	10	164	107	29	894
(iv)	आयुष फिजिशियन (होमियोपैथिक)	1732 / 04.02.2020	07 / 2020	9300-34800 ग्रेड पे 5400/- L-9	31	07	12	01	14	09	02	76
(v)	यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी	1735 / 04.02.2020	08 / 2020	9300-34800 ग्रेड पे 5400/- L-9	241	60	108	07	106	80	20	622
(vi)	आयुष फिजिशियन (यूनानी)	1733 / 04.02.2020	09 / 2020	9300-34800 ग्रेड पे 5400/- L-9	20	05	08	01	09	06	01	50
	कुल-3270											

नोट:- उक्त रिक्तियों में बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 50% क्षैतिज आरक्षण लागू होगा (सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-12535 दिनांक 17.09.2018)।

2. शैक्षणिक योग्यता:-

आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी एवं आयुष फिजिशियन(आयुर्वेदिक) – (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी०ए०एम०एस० डिग्री (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसीन एण्ड सर्जरी), जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो।

(ii) अनिवार्य इन्टर्नशीप प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।

(iii) बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद, बिहार पटना में निबंधन होना चाहिए।

होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी एवं आयुष फिजिशियन (होमियोपैथिक)—(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी०एच०एम०एस० डिग्री (बैचलर ऑफ होमियोपैथी मेडिसीन एण्ड सर्जरी) जो केन्द्रीय होमियोपैथिक परिषद, नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो।

(ii) अनिवार्य इन्टर्नशीप प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।

(iii) बिहार राज्य होमियोपैथिक चिकित्सा परिषद, बिहार, पटना में निबंधन होना चाहिए।

यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी एवं आयुष फिजिशियन (यूनानी)— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी०यू०एम०एस० डिग्री (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसीन एण्ड सर्जरी) जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो।

(ii) अनिवार्य इन्टर्नशीप प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।

(iii) बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद, बिहार पटना में निबंधन होना चाहिए।

3. आयु सीमा— दिनांक 01.08.2020 को :-

(i) अनारक्षित (सामान्य) — 37 वर्ष

(ii) अनु० जाति/अनु० जनजाति (पुरुष एवं महिला) — 42 वर्ष

(iii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) — 40 वर्ष

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-62 दिनांक 05.01.2007 के आलोक में निःशक्तों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-212, दिनांक- 23.01.2006 के आलोक में विज्ञापन संख्या 04/2020 से 09/2020 तक में अंकित सभी पदों हेतु मात्र संविदा कर्मियों को कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा में 12 वर्षों का छुट देय होगा, चाहे वह कार्यरत कभी से हो किन्तु दिव्यांग होने के स्थिति में दोनों छुट अनुमान्य नहीं होगा एवं यह छुट विकल्प आधारित होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-2374, दिनांक- 16.07.2007 के आलोक में उच्चतर वेतनमान के सेवा में जाने हेतु अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों का छूट अनुमान्य है।

4. वयन की प्रक्रिया :-

(i) बी०ए०एम०एस०/बी०यू०एम०एस०/बी०एच०एम०एस० में प्राप्तांक के लिए —60 अंक

(ii) स्नातकोत्तर उपाधि/उच्चतर उपाधि के लिए (एम०डी०/एम०एस०, आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथी या इससे उच्चतर उपाधि के लिए) —15 अंक

(iii) बिहार सरकार के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त सरकारी संस्थानों/औषधालयों में संविदा के आधार पर नियुक्ति के उपरांत कार्यरत चिकित्सकों को कार्य अनुभव के लिए (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के कार्य अनुभव के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक) —25 अंक

कुल — 100 अंक

(iv) मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा Civil Appeal No-9482 दिनांक— 17.12.2019 में पारित आदेश के आलोक में वैसे चिकित्सा पदाधिकारी जो बिहार राज्य के अन्तर्गत किसी भी गैर—निजी अस्पतालों अथवा उपक्रम यथा केन्द्र सरकार, नगर पालिका, पंचायती राज संस्थानों एवं अन्य लोक संस्थानों, सैनिक अस्पतालों में काम कर रहें हों या कर चुके हो को भी बिहार सरकार के सरकारी अस्पतालों में अनुबंध के आधार पर कार्य करने के उपरांत कार्य अनुभव प्राप्त करने वाले चिकित्सकों की भाँति सामान्य रूप से प्राप्तांक दिया जायेगा।

(v) अभ्यर्थी दिनांक—28.10.2020 तक संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का अपने कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र का साक्ष्य ऑनलाईन आवेदन के विहित कॉलम में दर्ज करेंगे।

नोट:— बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0 परीक्षा के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों की अवधारणा उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे $50 \times 0.6 = 30$ अंक दिये जायेंगे।

5. आरक्षण:

(i) ऑनलाईन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
(ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।

(iii) (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण—पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:

(a) जाति प्रमाण—पत्र

(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण—पत्र,

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण—पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:—

(a) क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण—पत्र — (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)

(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण—पत्र,

(c) सा०प्र०वि० के अधिसूचना सं०—673, दिनांक—05.03.2011 के आलोक में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु महिला अभ्यर्थियों का जाति एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण—पत्र पिता के नाम से निर्गत होना अनिवार्य है।

(C) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:—

(a) आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र (सा०प्र०वि० की अधिसूचना सं०—2622 दि० 26.02.2019 के आलोक में।)

(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल प्रमाण पत्र)

उक्त सभी प्रमाण—पत्र अपने स्थाई अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया मान्य होगा।

(iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण का अंकण आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण—पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

(v) दिव्यांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता (निःशक्तता) प्रमाण—पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा दिव्यांगता (निःशक्तता) के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक—2342, दिनांक— 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-13185, दिनांक-03.09.2015 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक -16144, दिनांक- 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण के इंगित कॉलम में निःशक्तता/स्वतंत्रता सेनानी/बिहार राज्य के सरकारी संस्थानों में संविदा पर कार्यरत कर्मियों द्वारा दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होंगे।

6. आवेदन शुल्क – Online आवेदन करने हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क निम्नवत् है:-

क्र०सं 0	उम्मीदवार की कोटि	निर्धारित आवेदन शुल्क
1	सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग	रु० 200/-
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)	रु० 50/-
3	बिहार राज्य के स्थायी निवासी आरक्षित/अनारक्षित वर्ग के सभी महिला उम्मीदवार	रु० 50/-
4	राज्य के बाहर के उम्मीदवार(चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला/पुरुष हों)	रु० 200/-

- (i) सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के एक चौथाई जमा करना होगा, अर्थात् अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को यदि 200 रुपये निर्धारित है, तो दिव्यांग अभ्यर्थी को मात्र 50 रुपये परीक्षा शुल्क देय होगा।
- (ii) अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन शुल्क डेविड कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग या एस.बी.आई के ई-चलान के माध्यम से जमा किया जाएगा एवं रसीद की प्रति आवेदक के पास सुरक्षित रखा जायेगा।
- (iii) ऑनलाईन भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।
- (iv) अभ्यर्थी ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद को प्रिन्ट कर ऑनलाईन आवेदन के विहित कॉलम में अंकित करेंगे।
- (v) वैसे सभी कोटि के अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा करते हैं, और भविष्य में उनके द्वारा संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी। निःशक्त अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे यदि स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी।

7. महत्वपूर्ण निर्देश:-

- (क) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के विहित कॉलम में अपने सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र की प्रति तथा आरक्षण से संबंधित सूचना की प्रविष्टि करेंगे एवं इस प्रविष्टि के अनुसार काउंसलिंग के समय मूल प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- (ख) कंडिका 4 (iii) के अन्तर्गत कार्यानुभव (अधिमानता) का दावा करने वाले अभ्यर्थी के द्वारा संविदा के आधार पर कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में अपने संस्थान के कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति काउंसेलिंग के समय जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ग) वैसे उम्मीदवार, जिनके अंक पत्र में अंक की जगह ग्रेड अंकित है, उन्हें अपने विश्वविद्यालय से उक्त ग्रेडिंग प्रणाली को प्रतिशत में परिवर्तित करने का फॉर्मूला प्राप्त कर अपने आवेदन के साथ संलग्न करना होगा, अन्यथा उनके ग्रेड को AICTE द्वारा ग्रेड को प्रतिशत में परिवर्तित करने हेतु प्रदत्त फॉर्मूला के आधार पर प्रतिशत निकाला जाएगा।
8. विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र एवं अंतिम रूप से भरे गये आवेदन को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा काउंसेलिंग के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र का इंक साईन कॉपी निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
 9. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किया है। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र के निर्गत होने की तिथि-28.10.2020 के पूर्व का होना आवश्यक है।
 10. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र काउंसेलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
 11. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।
 12. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट www.btssc.bih.nic.in एवं www.pariksha.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
 13. इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
 14. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
 15. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:-
 - (i) ऑनलाईन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी चालान की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रख लेंगे।
 - (ii) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देश का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र /अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
 - (iii) अभ्यर्थी, अपना नाम, जन्म तिथि, कोटि,परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑन लाईन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।
 - (iv) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे चयन सूची के अंतिम प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।

- (v) मात्र रजिस्ट्रेशन करने एवं ऑन लाईन शुल्क जमा करने से यह नहीं माना जाएगा की आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।
- (vi) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (vii) **फोटोग्राफ :-**
(क) आवेदक/अभ्यर्थी का फोटो हाल का खींचा होना चाहिए (तीन माह का अंदर)।
(ख) आवेदक/अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर से नीचे तक दिखना चाहिए और फोटो में आँख खुला होना चाहिए।
(ग) बैकग्राउण्ड में सफेद पटल होना चाहिए। फोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होना चाहिए। यदि आवेदक चष्मा लगाते हैं तो फोटो बिना चष्मा का खिंचवायेंगे।
- (viii) अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।
- (ix) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसी त्रुटियों की स्थिति में अभ्यर्थी तुरंत पूर्व में डाउनलोड किये गए चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में निर्धारित तिथि के अंदर नगद भुगतान कर आवेदन भरने की कार्यवाई करेंगे।
- (x) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के बीच की अवधि में अधियाची विभाग के द्वारा/राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त निदेशों के आलोक में विज्ञापन में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है।

नोट:- अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी/जाली प्रमाण-पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेगें अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाणपत्र फर्जी पाये जाने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाई की जायेगी।


सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।